

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-88/2024-

/स्वा०, पटना, दिनांक-

डा० दिलीप कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़, पटना के दिनांक-27.08.2012 से 04.12.2012 तक उपभोगित अवकाश अवधि एवं दिनांक-05.12.2012 को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-382(25), दिनांक-21.02.2025 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 232 एवं 236 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-27.08.2012 से 05.09.2012 तक - कुल-10 (दस) दिन रूपान्तरित अवकाश के रूप में (20 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले)।
- (ii) दिनांक-06.09.2012 से 15.10.2012 तक - कुल-40 (चालीस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
- (iii) दिनांक-16.10.2012 से 04.12.2012 तक - कुल-50 (पचास) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।
- (iv) दिनांक-05.12.2012 को - कर्तव्य अवधि के रूप में।

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-88/2024-

1832(2) पटना, दिनांक 31/7/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०)-बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० दिलीप कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

६